जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-03.06.2025**

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 10 लीटर कच्ची शराब बरामदः-

आज दिनांक 03.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को अवैध 10 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.इमरान पुत्र जाहिद निवासी ग्राम पावटी कलां थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0 499/2023 धारा 380/411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 165/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 225/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 230/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 588/2020 धारा 380/411 भादवि थाना झिंझाना जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 260/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से मोबाईल बरामदः-

ज्ञात हो कि थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से छेडछाड़ कर दुष्कर्म करने व मारपीट कर गाली गलौच करने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 17.04.2025 को थाना कैराना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम मे आज दिनांक 03.06.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ कर दुष्कर्म करने व मारपीट कर गाली गलौच करने के मामले में वांछित अभियुक्त को एक अदद मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.इस्तकार उर्फ इफ्तकार पुत्र सराफत निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद मोबाईल फोन।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 03 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया:-

1.-वर्ष 2023 में अभियुक्त नफीस पुत्र नूरदीन निवासी ग्राम कसेरवा थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 553/2023 धारा 186/34 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 03.06.2025 को माननीय न्यायालय सीजेएम, कैराना शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए 5,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.- वर्ष 2015 में अभियुक्त नीरज सैनी पुत्र कली राम सैनी निवासी मौहल्ला रायजादगान थाना कांधला जनपद शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 461/2015 धारा 18/20 एनड़ीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.06.2025 को माननीय न्यायालय एड़ीजे-7 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुये जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.- वर्ष 2006 में अभियुक्त अमित पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम भौरा खुर्द थाना भौरा कलां जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 404/2006 धारा 136 विद्युत अधिनियम व 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.06.2025 को माननीय न्यायालय एड़ीजे-4 मुजफ्फरनगर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त धाराओं में 01 वर्ष के कारावास के दण्डित किया गया है।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI